**Target set for collection of revenue**

4609. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what is the target set for collection of revenue with breakup of excise and customs duty upto December, 1991;

(b) what is the actual collection upto December, 1991;

(c) what are the reasons for shortfall in achieving the targets; and

(d) what steps arc being taken to achieve the target by the end of the current financial year?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) The targets for revenue collection arc fixed financial year-wise. Therefore, the question of fixing any targets for customs and excise duties upto December, 1991 docs not arise.

(b) As per departmental records, the provisonal estimate of the amount collected from April, 1991 to December, 1991 is as under:

Customs duties Rs. 14995.85 crores.

Excise duties Rs. 19577.23 crores.

(Excise revenue is exclusive of cesses not administered by the Department of Revenue).

(c) Does not arise.

(d) All possible steps are being taken to maximise revenue collections.

**वित्तीय ऋणों से संबंधित ब्याज दर ढांचे में सुधार किया जाना**

4610. **श्री महेन्द्र सिंह लाठर:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक औद्योगिक संस्थाओं ने सरकार से ब्याज दर की नीति में सुधार किए जाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समय विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए सरकार द्वारा उधार के संबंध में निर्धारित की गई ब्याज दर का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार अधिक लागत वाली अर्थ-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उद्योगों को प्रोत्साहन देने और उद्योगों में निवेश की जानी वाली पूंजी के अभाव का समाधान करने के लिए ब्याज दर की नीति में सुधार करने और उसमें संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो ब्याज की दरों की घोषणा कब तक कर दी जाएगी और इसके फलस्वरूप सरकार को होने वाली आय-व्यय का ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह):** (क) कई औद्योगिक संस्थाओं और उनका प्रतिनिधित्व करने वाली कई एसोसिएशनों ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक को चिन्ता व्यक्त की है और ब्याज दर के ढांचे पर पुनः विचार करने का अनुरोध किया है।

(ख) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का वर्तमान मूल उधार ब्याज दर ढांचा नीचे दिया गया है:

(%प्रति वर्ष)

| | ऋण सीमा का आकार | ब्याज कर के अलावा ब्याज की दर |
|---|---|---|
| 1. | 7500/-रु० तक और इसके समेत | 11.5 |
| 2. | 7500/-रु० से अधिक 15,000 रु० तक | 13.0 |
| 3. | 15,000/-रु० से अधिक और 25,000/-रु० तक | 13.5 |
| 4. | 25,000/-रु० से अधिक और 50,000/-रु० तक | 15.5<br>16.5 |
| 5. | 50,000/-रु० से अधिक और 2 लाख रु० तक | 19.0 |
| 6. | 2.00 लाख रुपये से अधिक | (न्यूनतम) |

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को दिनांक 18.2.92 को 2.00 लाख रुपये से अधिक के ऋणकर्ताओं से उनके द्वारा वसूल किये गए ब्याज दरों की, जो 19% प्रतिवर्ष की न्यूनतम उधार दर के अधीन है, जांच करने को कहा है और जिन मामलो में ये दरें काफी ऊंची हैं या जो ऋणकर्ता की ऋण रेटिंग को ध्यान में रखते हुए युक्तियुक्त स्तर पर निर्धारित नहीं की गयी है, उनमें संशोधन करने के लिए कहा है। भारतीय रिजर्व बैंक विभिन्न घटकों जैसे अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति, बैंकों द्वारा निधियों के जुटाने की लागत और बैंकों की लाभप्रदता आदि को ध्यान में रखते हुए निरंतरता के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिमों पर ब्याज की दर की पुनरीक्षा करता है।